(e) and (f) There is no such proposal.

Conservation and management of water resources

3529. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received representation for holding Nationwide debate on Conservation and proper management of water resources in the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government propose to take some action in the matter; and

(d) if so, what are the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER RE-SOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (d) Several representations have been received for optimising the use of water and its scientific development through inter-basin linkages etc-Being aware of these suggestions, a number of meetings of Indian Water Resources Society have been organised in which the need to conserve water and ensure its proper management have been stressed. Further, two National Water Conventions have been held, where people from different discipliens discussed several aspects of water resources development and mangement. Another Convention is proposed to be held during February 1992 titled "Water Conservation". It has also been proposed to hold national level group discussions on improved irrigation water management and allied subjects.

गुजरात में सिचाई परियोजनाओं का निर्माण

3530. त्री राम सिंह राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

(क) सरकार ढारा गुजरात में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं/ योजनाएं/जलाशय/बांध चालू किए गए हैं तथा किन-किन परियोजनाग्रों पर विचार किया जा रहा है; (ख) ऊपर उत्तिलखित उन परि-योजनाम्रों के संबंध में, जिनका कार्य अरम्भ किया जा चुका है, प्रस्तावित निर्माण कार्य का समय-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कार्यों का क्यौरा क्या है जिनके बारे में विलम्ब हो रहा है;

(घ) उसके क्या कारण हैं ; क्रौर

(ङ) निर्माण-कार्यमें देरी केकारण लागत में कितनी वृद्धि हो जाने की संभाषना है?

जल संसाधन मंत्री (श्रो विद्याचरण शुक्स): (क) से (ङ) सुचना ग्रमुपत्न में दी गई है। [बेखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्न संख्या 84]

रियायती दर पर खाद्यान्नों का वितरण

@3530 श्री राघव जीः क्या खाद्य मंत्री यह बताने की ऌपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार मे लगभग चार वर्ष पूर्व एक केन्द्रोय योजना के ग्रंतर्गत ग्रादिवासी क्षेत्रों में रियायतो दर पर खाद्याझ वितरण के लिए 25 रुपए प्रति क्विंटल का ग्रेनुदान निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकाश् ने उपयुंक्त अनुदान राशि (माजिन मनी) में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ; ग्रौर

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उपर्युंक्त ग्रनुरोध पर क्या कार्यवाही की है, यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्राख्य के राज्य मंती (श्री तथ्ण गोगोई): (क)केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि केन्द्रीय निर्गम मुल्य में जोड़े जाने वाले

(@) पूर्वत: ग्रतारांकित प्रश्न 3117, 19 हिसम्बर, 1991 से स्थानान्तरित ।